

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

वन मित्र कॉल सेंटर- 920 800 8000

5 पंचशील पार्क, चकराता रोड़, देहरादून टेलीफैक्स : 0135-2761077 ई-मेल: ceoukcampa@gmail.com, ceocampa-forest-uk@nic.in

www.www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 44 /3-2/16-17

दिनांक, 10 अक्टूबर, 2016

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित वन प्रभाग/क्रियान्वयन अभिकरण,
उत्तराखण्ड कैम्पा

विषय :- धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

वर्ष 2016-17 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष समयबद्ध गतिविधियों हेतु कैट प्लान में वृक्षारोपण (ईंधन प्रजाति, सिल्वीपास्चर एवं चारागाह विकास), वन पंचायतों के अन्तर्गत चारागाह विकास व अन्य वृक्षारोपण एवं एन.पी.वी. के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु निम्नांकितप्रभागवार/मदवार भौतिक लक्ष्य हेतु संलग्न विवरणानुसार धनराशि की आहरण सीमा निर्धारित की जा रही है:-

Fund Release against Approved APO of 2016-17

Amount in lakh

SL NO.	Name of Implementing Agencies	CAT Plantations (Fuelwood, Silvicultural and Pasture Devt)		Van Panchayat Plantations						Others		Remarks (for Col 13 & 14)	Total Release
		Phy	Fin	Pasture Development		Rejuvenation of Van Panchayat Forests		Pasture Development (CM Scheme)		Phy	Fin		
				Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BHAGIRATI CIRCLE												
1	NARENDRA NAGAR	222	53.51					15	1.61				55.12
2	TEHRI					20	3.57	20	3.6				7.17
3	TEHRI DAM I					15.00	2.68	27.00	4.86				7.54
4	TEHRI DAM II					2.00	0.24	10.00	2.50				2.74
5	UTTARKASHI F.D							10.00	1.80				1.80
6	UTTARKASHI.S.C					15.00	2.68	60.00	10.80				13.48
	Total Bhagirathi Circle	222.00	53.51	0.00	0.00	52.00	9.17	142.00	25.17	0.00	0.00	0.00	87.85
	GARHWAL CIRCLE												
7	ALAKNANDA SOIL	561.000	101.95					56.00	10.53				112.48
8	BADRINATH F.D	21.420	5.35					35.00	7.00				12.35
9	GARHWAL F.D	18.750	5.39			49.00	4.28	20.00	4.00				13.67
10	RUDRAPRAYAG F.D					20.00	3.57	65.00	13.00				16.57
11	PAURI (CIVIL SOYAM)					435.00	45.70	45.00	9.00	50.00		CA Plantation 50 ha	54.70
	Total Garhwal Circle	601.17	112.69	0.00	0.00	504.00	53.55	221.00	43.53	50.00	0.00	0.00	209.77
	SHIVALIK CIRCLE												
12	DEHRADUN F.D									LS	100.00	Malsi Zoo	100.00
13	LANSLOWNE F.D			10.00	1.68								1.68
14	KALSI S.C							10.00	1.68				1.68
15	LANSLOWNE S.C							61.72	6.70				6.70
	Total Shivalik Circle	0.00	0.00	10.00	1.68	0.00	0.00	71.72	8.38	0.00	100.00	0.00	110.06
	YAMUNA CIRCLE												
16	CHAKRATA F.D			110.00	20.68	10.00	2.11	25.00	5.00				27.79
17	MUSSOORIE F.D					25.00	5.00			2500 Plants	25.00	City Plantation with Tree Guard	30.00
18	TONS F.D					15.00	2.59	15.00	3.00				5.59
19	UPPER YAMUNA BARKOT							15.00	3.00				3.00
	Total Yamuna Circle	0.00	0.00	110.00	20.68	50.00	9.70	55.00	11.00	0.00	25.00	0.00	66.38
	Total Garhwal Zone	823.17	166.20	120.00	22.36	606.00	72.42	489.72	88.08	50.00	125.00	0.00	474.06

	CCF KUMAON ZONE												
	NORTH KUMAON CIRCLE												
20	ALMORA F.D			155.00	34.03							34.03	
21	ALMORA CIVIL SOYAM							0.00	0.11			0.11	
22	BAGESHWAR F.D			115.00	25.25							25.25	
23	CHAMPAWAT F.D			117.00	25.69							25.69	
24	PITHORAGARH F.D							200.00	43.91			43.91	
Total North Kumaon circle		0.00	0.00	387.00	84.97	0.00	0.00	200.00	44.02	0.00	0.00	0.00	128.99
	SOUTH KUMAON CIRCLE												
25	NAINITAL F.D							45.00	10.13			10.13	
26	NAINITAL S.C							52.00	11.70			11.70	
27	Ranikhet S.C							167.50	35.17			35.17	
28	RAMNAGAR S.C			46.00	5.93	7.00	1.60					7.53	
Total South Kumaon Circle		0.00	0.00	46.00	5.93	7.00	1.60	264.50	57.00	0.00	0.00	0.00	64.53
	WESTERN CIRCLE												
29	HALDWANI F.D			10.00	4.00	50.00	10.00					14.00	
30	TARAI EAST									LS	100.00	Haldwani Zoo	100.00
Total Western Circle		0.00	0.00	10.00	4.00	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	314.00
Total Kumoun Zone		0.00	0.00	443.00	94.90	57.00	11.60	464.50	101.02	0.00	300.00	0.00	507.52
31	PCCF (WLF)									LS	15.00	Wildlife Week	
32	KEDARNATH WILDLIFE DIV.	93.000	20.80							92.89	30.28	CA plantation head 92.89 ha	51.08
33	NANDA DEVI	45.000	8.55										8.55
34	ASKOT WLS			50.00	10.95								10.95
35	GANGOTRI N.P									LS	100.00	Muck Diposal	100.00
36	Nandour/Haldwani									LS	20.00	Eco-Tourism (Nandour)	20.00
Total Wildlife Zone		138.00	29.35	50.00	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	92.89	165.28		190.58
TOTAL		961.17	195.55	613.00	128.21	663.00	84.02	954.22	189.10	142.89	590.28		972.16

उक्तधनराशि की आहरण सीमा निम्न शर्तों के साथ निर्गत की जा रही है:-

1. अवमुक्त धनराशि का उपयोग नियमानुसार उपरोक्त स्वीकृत कैम्पा मदों में ही किया जाय। स्वीकृत मदों से भिन्न मदों में धनराशि का व्यय न की जाय।
2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाए।
3. उक्त कार्यो को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
4. प्रस्तावित कार्यो का विधिवत Documentation किया जाए।
5. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई भी कार्य सम्पन्न न कराए जाएं।
6. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यो हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
7. सम्पादित कार्यो को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
8. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
9. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2008 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनयूल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
11. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
12. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
13. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
14. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
15. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
16. समस्त स्थल विशिष्टकार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
17. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।
18. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।

भवदीय,

(समीर सिन्हा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:-/3-2/2016-17 दिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं/वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, शिवालिक एवं कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड।
5. समस्त संबंधित वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।

(समीर सिन्हा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा